



2026:AHC:66807

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 482 बी.एन.एस.एस. संख्या
- 2360 सन 2026

सलमान खान

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य

.....विपक्षीगण

आवेदक के अधिवक्ता : विनोद सिंह

विपक्षीगण के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 71

माननीय डॉ. गौतम चौधरी, न्यायमूर्ति

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान अपर महाधिवक्ता श्री अनूप त्रिवेदी, जिनकी सहायता विद्वान ए.जी.ए.-1 श्री समीर शुक्ला द्वारा की गई, को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।

2. प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक सलमान खान द्वारा वाद अपराध संख्या 248 सन् 2025 में, भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 319(4), 338, 336(3), 340(2) तथा एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 8-सी, 21सी, 26डी के अंतर्गत, थाना- गंज, जनपद- रामपुर से संबंधित प्रकरण में, गिरफ्तारी की दशा में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि आवेदक के विरुद्ध आरोप यह है कि उसने कोडिन कफ सिगरेट की 2000 शीशियाँ क्रय की थीं, जिन्हें अनुचित आर्थिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से खुले बाजार में बच दिया गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कहा कि आवेदक एम/एस फेयर डील एजेंसी नाम एवं शैली से एक मेडिकल एजेंसी संचालित कर रहा है। उन्होंने आगे निवेदन किया कि उक्त मेडिकल एजेंसी चलाने हेतु आवेदक के पास वैध अनुज्ञप्ति है। आवेदक के विरुद्ध लगाए गए आरोप किसी ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य से समर्थित नहीं हैं। विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह तर्क दिया कि अधिक से अधिक, आवेदक के विरुद्ध औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अंतर्गत अपराध बनता है। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि एन.डी.पी.एस. अधिनियम के आवश्यक अवयव आवेदक के विरुद्ध स्थापित नहीं होते हैं। उन्होंने आगे कहा कि आवेदक निर्दोष है और उसे आशंका है कि उपर्युक्त प्रकरण में उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, जबकि उसके विरुद्ध कोई विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह भी तर्क दिया कि अब तक आवेदक के विरुद्ध कोई दमनात्मक प्रक्रिया जारी नहीं की गई है। उन्होंने आगे निवेदन किया कि आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करेगा तथा अन्वेषण अभिकरण अथवा न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उपस्थित होगा। अंत में, विद्वान अधिवक्ता ने यह प्रतिपादित किया कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, तो

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, अन्वेषण में सहयोग करेगा तथा जमानत की सभी शर्तों का पालन करेगा।

4. दूसरी ओर, राज्य की ओर से विद्वान अपर महाधिवक्ता श्री अनूप त्रिवेदी, जिनकी सहायता विद्वान ए.जी.ए.-1 श्री समीर शुक्ला द्वारा की गई, ने अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क दिया कि आवेदक एक स्टॉकिस्ट है, जिसने बड़ी मात्रा में सिरप खरीदा और उसे व्यक्तिगत व्यक्तियों को बेच दिया। उन्होंने आगे निवेदन किया कि चूँकि आवेदक एक स्टॉकिस्ट/एजेंसी धारक है और वह वैध अनुज्ञप्ति धारक खुदरा विक्रेताओं को ही औषधियाँ बेचने के लिए अधिकृत है, तथा खुदरा विक्रेता पंजीकृत चिकित्सक द्वारा जारी चिकित्सकीय पर्चे के आधार पर ही व्यक्तियों को औषधि/सिरप बेच सकता है, किन्तु वर्तमान प्रकरण में आवेदक ने उक्त सिरप सीधे एक व्यक्ति को बेच दिया, जो औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम की अनुसूची एच-1 का उल्लंघन है।

5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिद्धाराम सतलिंगप्पा महत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011) 1 एस.सी.सी. 694 के प्रकरण में यह प्रतिपादित किया है कि अग्रिम जमानत पर निर्णय करते समय न्यायालय को आरोपों की प्रकृति एवं गंभीरता, अभियुक्त के पूर्ववृत्त, अभियुक्त के न्याय से पलायन की संभावना तथा अभियुक्त के विरुद्ध उपलब्ध समस्त सामग्री का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए, और अभियुक्त की विशिष्ट भूमिका को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

6. वर्तमान प्रकरण में, अग्रिम जमानत से संबंधित विधि के स्थापित सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के निवेदन, आरोपों की प्रकृति, आवेदक की भूमिका तथा प्रकरण के समस्त संगत तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, वाद के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने का कोई मामला नहीं बनता है।

7. अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त किया जाता है।

(डॉ. गौतम चौधरी, न्यायमूर्ति)

26 मार्च, 2026
एस. अली

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"